



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपकम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 19-अ०प्र०(२३) / पा०का०लि० / २०१४

दिनांक: ०६ फरवरी २०१४

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिकारी अभियन्ता (वै० एवं यां०) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-३ में उल्लिखित कार्यालय/स्थान, से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधीक्षण अभियन्ता, (वै० एवं यां०) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-०४ के अनुसार निगम को आबण्टित/तैनात किया जाता है:-

क० सं०	नाम/अभि० संख्या/गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति का दिनांक	अधिकारी अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के पश्चात आबण्टित निगम
1	2	3	4
1	श्री अखिलेश कुमार सिंह 86084, गाजीपुर 31.07.2021	अधिकारी अभियन्ता पी०पी०ए०, लखनऊ।	अधीक्षण अभियन्ता, विशेष ऊर्जा एवं अनुबन्ध टैरिफ मण्डल (स्पैट), लखनऊ। (का०ज्ञा०सं०-१२-अ०प्र०(२३)) दिनांक 31-1-14 के क्रमांक-५ द्वारा निर्गत आदेशों के आंशिक संशोधन में)

2— उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में निवेशित याचिका संख्या ऐ-नम्बर-३८३७२/२०१३-अनुप चन्द्र एवं ५ अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं ३४ अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होंगे।

3— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या ७९/१९९७ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक २१-३-२००७ में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

4— उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-५९१०-गोपन/पाकलि(०६)-२००१ दिनांक ११-६-२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंक का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

6— उपरोक्त अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि निदेशक पद पर चयनित अधिकारियों की किसी कारणवश प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उनके मूल संवर्ग में अपने ज्येष्ठताकम में स्थापित किया जायेगा जिसके फलस्वरूप कनिष्ठतम प्रोन्नत अधिकारी मूल पद पर प्रत्यावर्त्त हो जाएगा।

०६/०२/२०१५

प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः.....2.....

हरियाणा राजस्वाकार प्रशासन अधिकारी प्रतिलिपि

(समाचार के प्रकाशन द्वारा)

कानूनी संपर्क कार्यालय—भाग—2 :-



संख्या: 19-अ0प्र0(23) / पा0का0लि0 / 2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव / समस्त निदेशक / अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2— अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0वर टा0का0 लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणाञ्चल / मध्याञ्चल / पूर्वाञ्चल / पश्चिमाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा / लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- 4— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) / मुख्य महा प्रबन्धक / महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रा0स्ट्रैमिशन का0लि0।
- 5— समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7— अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8— सम्बन्धित अधिकारी / वैयक्तिक पत्रावली / कट फाइल।

आज्ञा से,

प्रफुल्ल चन्द्र पन्त
(प्रफुल्ल चन्द्र पन्त)
उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रतिलिपि का नाम-का-कार्यालय
कार्यालय के विविध संकायों का

प्रतिलिपि

19-अ0प्र0(23)-समाचार-प्रतिलिपि का-कार्यालय में जानकारी द्वारा उप अधिकारी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। इसका उद्देश्य उक्त कार्यवाही को संपूर्ण रूप से नियंत्रित करना है।

उप अधिकारी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही को संपूर्ण रूप से नियंत्रित करना है। इसका उद्देश्य उक्त कार्यवाही को संपूर्ण रूप से नियंत्रित करना है।

उप अधिकारी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही को संपूर्ण रूप से नियंत्रित करना है। इसका उद्देश्य उक्त कार्यवाही को संपूर्ण रूप से नियंत्रित करना है।

कानूनी संपर्क

प्रफुल्ल चन्द्र पन्त
उप सचिव

प्रतिलिपि